रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 4, 1993/फाल्गुन 13, 1914
No. 129] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 4, 1993/PHALGUNA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1993

का. आ. 147(अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

आदेश

श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल, तहसील कटघोरा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश ने तारीख 17 अगस्त, 1991 को एक अर्जी फाइल की है, जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि लोक सभा के आसीन सदस्य श्री बी. एल. वर्मा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन कतिपय प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के कारण संसद में स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं थे;

और भारत के राष्ट्रपति ने उक्त अर्जी के प्रतिनिर्देश से, संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी ;

और निर्वाचन आयोग की यह राय है (उपाबंध देखिए) कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन उक्त अर्जी चलाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त अर्जी में जो प्रश्न उठाया गया है वह श्री बी. एल. वर्मा की निर्वाचन पूर्व अभिकथित निरर्हता से संबंधित है ;

अतः अब, मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति, श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल की पूर्वोक्त अर्जी खारिज करता हूं ।

भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 1992 का निर्देश मामला सं. 3 (भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्देश)

संसद् (लोक सभा) के आसीन सदस्य श्री बी. एल. वर्मा की अभिकथित निरर्हता के संबंध में।

राय

1. भारत के राष्ट्रपति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन तारीख 18-12-1992 का यह निर्देश इस प्रश्न पर है कि क्या लोक सभा के आसीन सदस्य श्री बी. एल. वर्मा उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हुए या हो गए हैं ।

2. उपरोक्त निर्देश तहसील कटघोड़ा, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश के श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 17-8-1991 की अर्जी के आधार पर उत्पन्न हुआ है जिसका संविधान के अनुच्छेद 103(1) के निबंधनों के अनुसार होना तात्पर्यित है । उक्त अर्जी में, अर्जीदार ने यह अभिकथन किया है कि—

(क) साधारण निर्वाचन, 1991 के लिए 14 जांजगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (म. प्र.) से संबंधित श्री बी. एल. वर्मा के नामनिर्देशन पत्र सहित अन्य नामनिर्देशन पत्र, बिलासपुर के उप कलक्टर और उप निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए जो नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं हैं क्योंकि उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए वह रिटर्निंग आफिसर नहीं थे,

(ख) शपथ या प्रतिज्ञान जो संविधान के अनुच्छेद 84 के अधीन अभ्यर्थी के रूप में श्री बी. एल. वर्मा द्वारा किया जाना था, उक्त उप कलक्टर और उप निर्वाचन आफिसर, बिलासपुर के समक्ष किया गया जो ऐसा शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं था,

(ग) पूर्वोक्त निर्वाचनक्षेत्र की बाबत नामनिर्देशन पत्रों की जांच उक्त उप कलक्टर, बिलासपुर द्वारा की गयी जो ऐसी जांच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं था ।

3. पूर्वोक्त के आधार पर, अर्जीदार ने यह तर्क दिया कि श्री बी. एल. वर्मा, संसद में स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं थे। अपनी अर्जी में उसने यह प्रार्थना की है कि 14 जांजगीर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से संबंधित नामनिर्देशन पत्र मंगाये जाएं और उसकी जांच की जाए ।

4. यह बात सुस्थापित हो चुकी है कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति की निरर्हता केवल ऐसे प्रश्नों को विनिश्चित करने की अधिकारिता प्राप्त है जिससे संसद का कोई आसीन सदस्य निर्वाचन के पश्चात् ग्रस्त हो जाता है । राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न की जांच करने की आयोग की अधिकारिता, इस प्रकार केवल निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता के मामलों में भी, उत्पन्न होती है । निर्वाचन से पूर्व निरर्हता संबंधी कोई प्रश्न, अर्थात् ऐसी निरर्हता जिससे कोई व्यक्ति निर्वाचन के समय या अपने निर्वाचित होने से पूर्व ग्रस्त था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके केवल निर्वाचन अर्जी के माध्यम से ही उठाया जा सकता है और किसी अन्य रीति से नहीं । (इस बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकट राव (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 210, वृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1892) निर्वाचन आयोग बनाम एन. जी. रंगा (ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1609) आदि में उच्चतम न्यायालय के निर्णय देखिए)

5. इस अर्जी में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं से संबंधित अभिकथन अन्तर्विष्ट हैं जिनके बारे में कहा गया है कि वे निर्वाचन के संचालन के दौरान की गई थी जब श्री बी. एल. वर्मा तब तक अभ्यर्थी थे, अर्थात् बी. एल. वर्मा के लोक सभा का सदस्य के रूप में निर्वाचन होने से पूर्व। इस प्रकार विद्यमान अर्जी में उठाया गया प्रश्न, भी तो श्री बी. एल. वर्मा की निर्वाचन पूर्व निरर्हता से संबंधित है । अतः श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल द्वारा श्री बी. एल. वर्मा का लोक सभा सदस्य होने के लिए अभिकथित निर्वाचन पूर्व निरर्हता के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन राष्ट्रपति की अधिकारिता का आश्रय नहीं लिया जा सकता है। इस मामले को, यदि अर्जीदार द्वारा इसे आवश्यक समझा जाए, संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन अर्जी द्वारा उठाया जाना चाहिए ।

6. राष्ट्रपति और कुछ राज्यों के राज्यपालों द्वारा इसे निर्देशित विभिन्न मामलों में, जिनमें निर्देश में उठाया गया प्रश्न निर्वाचन से पूर्व निरर्हता से संबंधित था, आयोग द्वारा, इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया जा सकता है । उदाहरण के लिए 1991 के निर्देश मामले सं. 1 में जो संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश था, यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या श्री पंकज चौधरी जो 1991 के साधारण निर्वाचन में उत्तर प्रदेश राज्य में महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, संविधान के अनुच्छेद 102 (1ख) के अधीन निर्वाचन लड़ने से निरर्हित थे क्योंकि वे अभिकथित रूप से भारत के नागरिक नहीं थे और नेपाल के नागरिक थे । आयोग ने

5-9-1991 को इस आशय की राय राष्ट्रपति को दी कि संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन उक्त प्रश्न राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता क्योंकि यह निर्वाचन पूर्व निरर्हता से संबंधित है ।

7. आयोग की यह राय है और तदनुसार वह अभिनिर्धारित करता है कि राष्ट्रपति को श्री रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल की तारीख 17-8-1991 की वर्तमान अर्जी संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।

8. राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश, उपरोक्त आशय की मेरी राय के साथ पास भेजा जा रहा है ।

हस्ता.
(टी. एन. शेषन)
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली :

तारीख : 4 जनवरी, 1993

[सं. 7/5/93-वि.-II]
पी. एल. सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 1993

S.O. 147(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas a petition, dated 17th August, 1991 has been filed by Shri Rameshwar Prasad Agrawal of Tahsil Katghora, District Bilaspur, Madhya Pradesh, alleging that Shri B. L. Verma, a sitting member of Lok Sabha, was not qualified to be chosen to fill a seat in Parliament on account of certain procedural irregularities committed under the Representation of the People Act, 1951 ;

And whereas the President of India had sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution with reference to the said petition;

And whereas the Election Commission is of the opinion (vide Annexe) that the said petition is not maintainable under article 103(1) of the Constitution, as question raised in the said petition, relates to an alleged pre-election disqualification of Shri B. L. Verma.

Now, therefore, I, Shanker Dayal Sharma, President of India, do hereby dismiss the aforesaid petition of Shri Rameshwar Prasad Agrawal.

March 1, 1993.

PRESIDENT OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 3 of 1992

(Reference from the President of India under Article 103(2) of the Constitution of India)

In re : Alleged disqualification of Shri B. L. Verma, sitting member of Parliament (Lok Sabha).

OPINION

1. This is a reference dated 18-12-1992 from the President of India seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India on the question whether Shri B. L. Verma, a sitting member of Lok Sabha, became or has become subject to disqualification for being member of that House.

2. The above reference has arisen on a petition dated 17-8-1991 made by one Shri Rameshwar Prasad Agrawal of Tahsil Katghora, District Bilaspur, Madhya Pradesh, to the President of India, purporting to be in terms of Article 103(1) of the Constitution. In the said petition, the petitioner alleges that :—

(a) the nomination papers, including those of Shri B. L. Verma, relating to 14-Jangir Parliamentary Constituency (M.P.) for the General Election, 1991 were received by the Depputy Collector and Deputy Election Officer, Bilaspur who was not the authorised officer to receive nomination papers as he was not the Returning Officer for the said constituency;

(b) the oath or affirmation which had to be made by Shri B. L. Verma as a candidate under Article 84 of the Constitution was made before the said Deputy Collector and Deputy Election Officer, Bilaspur who was not the authorised officer to administer such oath or affirmation ;

(c) the scrutiny of the nomination papers pertaining to the aforesaid constituency was done by the said Deputy Collector, Bilaspur who was not the authorised officer to do such scrutiny.

3. On the basis of the aforesaid, the petitioner contended that Shri B.L. Verma was not qualified to be chosen to fill a seat in Parliament. He prayed in his petition that the nomination papers relating to 14-Jangir Parliamentary Constituency may be called for and subjected to further scrutiny.

4. It is well settled that under Article 103(1) of the Constitution, the President has the jurisdiction to decide only such questions of disqualification to which a sitting member of Parliament becomes stronger after his election The jurisdiction of

the Commission to enquire into the question of alleged disqualification referred to it by the President under Article 103(2) of the Constitution thus also arises only in the cases of post-election disqualification. Any question relating to pre-election disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of election or prior to his election, can be raised only by means of an election petition presented before the High Court of the State concerned in accordance with the provisions of Article 329(b) of the Constitution read with Part VI of the Representation of the People Act, 1951, and in no other manner. [See in this connection the decisions of the Hon'ble Supreme Court in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 210), Brundaban Nayak Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892), Election Commission Vs. N. G. Ranga (AIR 197 SC 1609)], etc.

5. The instant petition contains allegations relating to procedural irregularities said to have been committed during the conduct of election when Shri B. L. Verma was still a candidate i.e., prior to the election of Shri B. L. Verma as a member of the Lok Sabha. The question raised in the present petition thus relates to pre-election disqualification of Shri B. L. Verma, if at all. Therefore, the jurisdiction of the President under Article 103(1) of the Constitution cannot be invoked by Shri Rameshar Prasad Agrawal in relation to the alleged pre-election disqualification of Shri B. L. Verma for being a member of Lok Sabha. This matter should be agitated if so considered necessary by the petitioner in an election petition before High Court concerned.

6. A similar view has been expressed by the Commission in several cases referred to it by the President and Governors of certain States wherein the question raised in the reference related to pre-election disqualification. For example, in Reference Case No. 1 of 1991 which was a reference received from the President under Article 103(2) of the Constitution, the question raised was whether Shri Pankaj Chaudhary, who was elected to the Lok Sabha from the Maharajganj Parliamentary Constituency in the State of Uttar Pradesh at the General Election, 1991, was disqualified to contest the election under Article 102(1)(d) of the Constitution of India as he was allegedly not a citizen of India and was a citizen of Nepal. The Commission tendered its opinion to the President on 5-9-1991 to the effect that the above question could not be raised before the President under Article 103(1) of the Constitution as it related to pr-election disqualification.

7 The Commission is of the opinion, and accordingly holds, that the present petition dated 17-8-1991 of Shri Rameshwar Prasad Agrawal to the President is not maintainable under article 103(1) of the Constitution.

8. The reference received from the President is returned with my opinion to the aforesaid effect.

Sd/—

(T. N. SESHAN)

Chief Election Commissioner of India

New Delhi,

Dated : 4th January, 1993.

[No. 7(5)/93-Leg.II]

P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993